

**राजस्थान सरकार**

अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:सं.27(3)(3)पदो/अभि/23

जयपुर, दिनांक:

**पदोन्नति आदेश**

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 32-33 के अंतर्गत विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर 2023-24 में डेफर किये गये पदो की समीक्षा करने हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा पर श्रीमती शीला देवी पत्नी श्री कृष्ण मोहन यादव को सहायक प्रशासनिक अधिकारी से अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (Pay matrix L-11) के पद पर वर्ष 2023-24 में रिक्ति की दिनांक 01.04.2023 के विरुद्ध वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नत किया जाता है।

उपरोक्त पदोन्नत अधिकारी रिक्ति की तिथि से पदोन्नति के पात्र हैं परन्तु पदोन्नति का वास्तविक लाभ पदस्थापन आदेश जारी होने के पश्चात कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे। पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जावेगे।

**(रवि शर्मा)**

निदेशक अभियोजन

राजस्थान जयपुर

**प्रतिलिपि:निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-**

01. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
02. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय/अभि) राजस्थान जयपुर।
03. संयुक्त /उप निदेशक अभियोजन, कोटा ।
04. संस्थापन शाखा, मंत्रालयिक वरिष्ठ अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
05. संबंधित अधिकारी..... :-संबंधित कार्यालयध्यक्ष।
06. रक्षित पत्रावली।

निदेशक अभियोजन

राजस्थान जयपुर